

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 03/03/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नोएडा एसईजेड की अध्यक्षता में दिनांक 03/03/2023 को पूर्वाह्न 11:30 बजे हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नोएडा एसईजेड की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, एनएसईजेड (23/09/2008 के पत्र के संदर्भ में वाणिज्य विभाग का नामित)
2. श्री सुनील कुमार, अधीक्षक, सीमा शुल्क, नोएडा आयुक्तालय।
3. श्रीमती गरिमा मिश्रा, सहायक। प्रबंधक, डीआईसी, नोएडा (प्रधान सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि)
4. श्री चमन लाल, सहायक डीजीएफटी, सीएलए, नई दिल्ली।
5. श्री नीरज कुमार, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नोएडा।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान श्री (i) नितिन गुप्ता, उप. विकास आयुक्त, एनएसईजेड, (ii) अमित गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी, एनएसईजेड, (iii) प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त, एनएसईजेड, (iv) अरुण सिंह परिहार, आशुलिपिक, परियोजना अनुभाग, एनएसईजेड, (v) सत्य विजय वर्मा, आईई, यूपीपीसीबी (AEE,UPPCB), नोएडा और (vi) राजीव कुमार, जेई, यूपीपीसीएल, नोएडा भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह सूचित किया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

- (1) दिनांक 02/02/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

सुरेंद्र मलिक

दिनांक 02/02/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई सन्दर्भ था और न ही आपत्तियाँ। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया और तदनुसार, 02/02/2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) करोरी ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड - एनएसईजेड में एक इकाई की स्थापना

2.1 श्री प्रशांत शौकीन, निदेशक और श्री सौरभ, कंपनी के प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। हालांकि प्रतिनिधि प्रस्तावित इकाई के लिए धन के स्रोतों की व्याख्या नहीं कर सके।

2.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, आवेदक को पूर्ण वित्तीय विवरण (जमा किए गए बैंक खाते के विवरण में दिए गए धन के स्रोत सहित, अचल संपत्तियों, पूंजीगत वस्तुओं और इनपुट के अलग-अलग विवरण) मूल्यवर्धन और विभिन्न बाजारों के लिए स्पष्ट व्यापार योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव को स्थगित कर दिया और विकास आयुक्त, एनएसईजेड के कार्यालय को इकाई के उत्तर की जांच करने और इसे अनुमोदन समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, आवेदक को पूर्ण वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

(3) नेभराज मैनुफैक्चरिंग एलएलपी - एनएसईजेड में एक इकाई की स्थापना।

3.1 आवेदक इकाई से कोई भी बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। बताया गया कि फर्म के भागीदार ने ईमेल दिनांक 02/03/2023 के माध्यम से सूचित किया है कि वह स्वास्थ्य की स्थिति के कारण बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे और प्रस्ताव को स्थगित करने का अनुरोध किया है। अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। हालांकि, यह इकाई इस बारे में स्पष्ट स्पष्टीकरण देगी कि कोई भी अन्य भागीदार समिति के समक्ष क्यों उपस्थित नहीं हो सका।

(4) प्रोटेम कंप्यूटर - एलओए (LOA) का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

4.1 श्री मुनीश शर्मा, भागीदार अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने प्रस्ताव की व्याख्या की।

4.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई को 8 अंकों के आईटीसी (एचएस) कोड और निर्माण प्रक्रिया प्रवाह चार्ट के साथ तैयार उत्पादों का विवरण

सुरेंद्र मलिक

प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने फाइल पर दस्तावेजों/सूचना की जांच करने का निर्देश दिया और फाइल पर एलओए (LOA) के नवीनीकरण के लिए उपयुक्त निर्णय लेने के लिए विकास आयुक्त, एनएसईजेड के कार्यालय को अधिकृत किया।

(5) सहदेव इंटरनेशनल - एलओए (LOA) का नवीनीकरण, अधिकृत में संशोधन संचालन और उत्पादन क्षमता।

5.1 श्री शशि सहदेव, मालिक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि उनकी इकाई ने बैंक से कोई कर्ज नहीं लिया है। लेकिन, सहदेव इंटरनेशनल से संबंधित एनएसईजेड के प्लॉट नंबर 161 की इमारत को उनके दिवंगत पिता (जो उस समय फर्म के मालिक थे) द्वारा उनकी एक अन्य फर्म सहदेव ज्वैलर्स के बैंक ऋण के एवज में बैंक के पास गिरवी रख दिया गया था। उन्होंने आगे एलओए (LOA) के नवीनीकरण के लिए उन्हें मंजूरी देने का अनुरोध किया और कहा कि अगर बैंक को प्लॉट नंबर 161, एनएसईजेड के साथ समस्या है, तो वह एसडीएफ में अपना कारोबार स्थानांतरित करने और एसडीएफ जगह के लिए आवेदन करने के लिए तैयार हैं।

5.2 यह सूचित किया गया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने दिनांक 06/12/2022 को अपने पत्र दिनांक 30/01/2023 (06/02/2023 को इस कार्यालय में प्रस्तुत) द्वारा आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णय के अनुपालन में सूचित किया है कि गिरवी (Mortgage) के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्लॉट संख्या 161, NSEZ उनके बैंक के पक्ष में एनईपीजेड, नोएडा के कार्यालय से पत्र संख्या एनईपीजेड / ईएम-109/92-93/8494 दिनांक 15/12/1993 द्वारा लिया गया था। हालाँकि, उक्त संपत्ति मैसर्स सहदेव इंटरनेशनल से संबंधित है जिसमें स्वर्गीय वासदेव सहदेव और श्री रवि सहदेव भागीदार थे, वे मैसर्स सहदेव ज्वेलर्स में भी भागीदार थे और उन्होंने यह संपत्ति मैसर्स सहदेव ज्वेलर्स को बैंक के अग्रिम की सुरक्षा के रूप में दी थी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने माननीय डीआरटी लखनऊ निर्णय दिनांक 03.08.2022 की प्रति भी प्रदान की है जिसमें डीआरटी ने बैंक के पक्ष में निर्णय पारित किया है।

5.3 अनुमोदन समिति ने आगे पाया कि इकाई की आईईसी की स्थिति 'निष्क्रिय' है।

5.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, नामांकित कानूनी फर्म को पूरे तथ्यों को संदर्भित करने और प्लॉट के खिलाफ बकाया किराए के भुगतान सहित मामले में एक समेकित कानूनी राय लेने का निर्देश दिया।

सुरेंद्र मलिक

(6) श्रीकरम प्रेसाइंस प्राइवेट लिमिटेड - अतिरिक्त अधिकृत को शामिल करना एलओए (LOA) में संचालन और सूखी बर्फ, जेल आइस पैक, पैकिंग सामग्री और घरेलू उपकरण की खरीद।

6.1 श्री आर रामनाथन, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। अनुमोदन समिति ने पाया कि प्रस्तावित सूची में दिए गए कुछ आईटीसी (एचएस) कोड एचएस नामकरण में मौजूद नहीं हैं। इसके अलावा, कुछ आईटीसी (एचएस) कोडों के सामानों का विवरण सही ढंग से नहीं दिया गया है।

6.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, सही आईटीसी (एचएस) कोड/विवरण के साथ प्रस्तावित मदों की संशोधित सूची प्रस्तुत करने के अधीन एलओए (LOA) में अधिकृत संचालन में अतिरिक्त भंडारण माल को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

(7) ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड - एलओए (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन शामिल करना।

7.1 अनुमोदन समिति ने रक्षा उत्पादन विभाग (डीएडीपी) के पत्र को ध्यान में रखते हुए कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की जिसमें उल्लेख किया गया था कि वे गृह मंत्रालय (एमएचए) में अंतर-मंत्रालयी समिति का हिस्सा थे जिसने इकाई को लाइसेंस दिया था। इस पर आगे वाणिज्य विभाग से स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ था। इस कारक को ध्यान में रखते हुए और उचित विचार-विमर्श के बाद, समिति ने (ए) कार्बाइन 9x19 मिमी (93012000) (8500 संख्या/वर्ष); और (बी) निशानची राइफल [(i) 7.62x51 मिमी (93012000) (748 संख्या/वर्ष); (ii) 8.60x70 मिमी (93012000) (752 संख्या/वर्ष)] के विनिर्माण को गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 11/11/2021 के निर्माण लाइसेंस के अनुसार शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

(8) एक्वाप्लस ग्लोबल - अधिकृत संचालन में अतिरिक्त आईटीसी (एचएस) कोड शामिल करना।

8.1 श्री प्रकाश और श्री अनूप टंडन, इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। अनुमोदन समिति ने पाया कि प्रस्तावित सूची में दिए गए कुछ आईटीसी (एचएस) कोड एचएस नामकरण में मौजूद नहीं हैं।

सुरेंद्र मलिक

8.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, एचएस 2022 नामकरण में सही आईटीसी (एचएस) कोड प्रस्तुत करने के अधीन एलओए (LOA) में अधिकृत संचालन में अतिरिक्त आईटीसी (एचएस) कोड शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

(9) सीएचएल लिमिटेड - एलओए (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन के रूप में भंडारण को शामिल करना।

9.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री रामानंद जुयाल और श्री नवनीत धवन अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री जुयाल ने बताया कि वर्तमान में वे पैकिंग सामग्री का निर्माण कर रहे हैं और उसे एनएसईजेड/ईओयू में अन्य इकाइयों को बेच रहे हैं।

9.2 अनुमोदन समिति ने देखा कि इकाई द्वारा प्रस्तुत एपीआर में नियम 53 ए(ए-के) के तहत कोई निर्यात/आपूर्ति नहीं दिखाई गई है। एपीआर के अनुसार, केवल डीटीए बिक्री के आंकड़ों को दिखाया गया है। अनुमोदन समिति ने आगे कहा कि प्रस्तावित सूची में दिए गए कुछ आईटीसी (एचएस) कोड एचएस नामकरण में मौजूद नहीं हैं। इसके अलावा, कुछ आईटीसी (एचएस) कोडों के सामानों का विवरण सही ढंग से नहीं दिया गया है।

9.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, सही आईटीसी (एचएस) कोड / एचएस 2022 नामकरण में विवरण प्रस्तुत करने के अधीन कृषि उत्पादों को छोड़कर कार्यसूची नोट के साथ संलग्न सूची के अनुसार एलओए (LOA) में अधिकृत संचालन के रूप में भंडारण गतिविधियों को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अनुमोदन समिति ने आगे इकाई को एसईजेडऑनलाइन (Sezonline) प्रणाली पर तुरंत सही एपीआर जमा करने का निर्देश दिया।

(10) इंडस इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड - इकाई का नाम बदलकर मैसर्स इंडस वैली पार्टनर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया है।

0.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, एनएसईजेड में इकाई को जारी किए गए सभी सात एलओए (LOA) के संबंध में मैसर्स इंडस इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड से मैसर्स इंडस वैली पार्टनर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड में इकाई के नाम के परिवर्तन पर ध्यान दिया। यह निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के संदर्भ में है और फाइल में देखी गई दस्तावेजों/सूचनाओं को प्रस्तुत करने के अधीन है।

सुरेंद्र मलिक

(11) सहस्र इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस - इकाई के नाम / गठन में परिवर्तन।

11.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मैसर्स सहस्र इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस (श्री अमृत मनवानी की एक मालिकाना फर्म) से "मैसर्स सहस्र इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस लिमिटेड (एक पब्लिक लिमिटेड इकाई) के गठन/इकाई के नाम में परिवर्तन के साथ-साथ प्रवर्तको और शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव पर ध्यान दिया।

(12) कंप्लीट सर्वेइंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (इकाई-2) - इकाई द्वारा अंतिम विकास अनुरोध के मद्देनजर प्रदर्शन की निगरानी।

12.1 अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और एनएसईजेड में काम करने के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक एनएफई (NFE) कमाई की उपलब्धि को नोट किया। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि एपीआर के अनुसार कोई भी निर्यात आय प्राप्ति के लिए लंबित नहीं दिखाई गई है। अनुमोदन समिति ने इकाई से शेष दस्तावेजों की प्राप्ति पर फ़ाइल पर अंतिम विकास के मामले की जांच करने के लिए परियोजना अनुभाग, एनएसईजेड को आगे निर्देशित किया।

(13) कंप्लीट सर्वेइंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (इकाई-3) - इकाई द्वारा अंतिम विकास अनुरोध के मद्देनजर प्रदर्शन की निगरानी।

13.1 अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और एनएसईजेड में काम करने के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक एनएफई कमाई की उपलब्धि को नोट किया। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि एपीआर के अनुसार कोई भी निर्यात आय प्राप्ति के लिए लंबित नहीं दिखाई गई है। अनुमोदन समिति ने इकाई से शेष दस्तावेजों की प्राप्ति पर फ़ाइल पर अंतिम विकास के मामले की जांच करने के लिए परियोजना अनुभाग, एनएसईजेड को आगे निर्देशित किया।

(14) नटिटश एक्विजम प्राइवेट लिमिटेड - NSEZ में एक इकाई की स्थापना।

14.1 श्री योगेश और श्री माधव शर्मा (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री शर्मा ने बताया कि वह संयुक्त अरब अमीरात में स्थित एक एनआरआई हैं और अपनी स्वामित्व फर्म मैसर्स जेमटेक ज्वेलरी, संयुक्त अरब अमीरात के माध्यम से एनएसईजेड में इकाई स्थापित करने के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान करेंगे।

सुरेंद्र प्रलोक

14.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रस्तावित माल के लिए एनएसईजेड में एक इकाई स्थापित करने के लिए मैसर्स न्यूटिश एक्जिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी देने का फैसला किया। यह अनुमोदन श्री माधव शर्मा के पासपोर्ट के सभी पृष्ठों की प्रति के साथ मैसर्स जेमटेक ज्वेलरी के वित्तीय विवरणों की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने के अधीन है। अनुमोदन समिति ने आगे निर्देश दिया कि आवेदक से उपरोक्त दस्तावेजों की प्राप्ति और फाइल पर उसकी जांच के बाद फाइल पर विकास आयुक्त, एनएसईजेड के कार्यालय द्वारा अंतिम स्वीकृति दी जाएगी। अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त, एनएसईजेड के कार्यालय को ऐसे प्रस्तुत दस्तावेजों और LOA जारी करने के लिए अपेक्षित निर्णय लेने का अधिकार दिया।

15. विभु एसेंशियल ऑयल्स एलएलपी - एनएसईजेड में एक इकाई की स्थापना।

15.1 श्री सुरेन्द्र गुप्ता, श्री संजय संपत और श्री संजीव कपूर, प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपने प्रस्ताव की व्याख्या की।

15.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, "चंदन बिलेट्स/चूर्ण (12119050) (2000 किलोग्राम/वर्ष), चंदन का तेल (33012937) (1500 किग्रा/वर्ष) उनके साथ आईटीसी एचएस 12119050 के तहत उप-उत्पाद यानी स्पेंडडस्ट (तेल रहित चूर्ण) (30000 किग्रा/वर्ष), चंदन / चंदन की लकड़ी चूर्ण (3000 किग्रा/वर्ष), चंदन बलून चूर्ण (600 किग्रा/वर्ष) के निर्माण" के लिए एनएसईजेड में एक इकाई स्थापित करने के लिए मैसर्स विभु एसेंशियल ऑयल्स एलएलपी के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह अनुमोदन एसईजेडऑनलाइन (Sezonline) प्रणाली पर ऑनलाइन आवेदन जमा करने के अधीन है (जो आवेदक के पास कमी है) और आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

- (i) तैयार उत्पादों या इसके उप-उत्पादों की कोई डीटीए (DTA) बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (ii) सभी उप-उत्पादों का भौतिक रूप से निर्यात भी किया जाएगा यानी एसईजेड को एसईजेड आपूर्ति या डीमंड निर्यात की अनुमति नहीं होगी।
- (iii) कोई जॉब-वर्क की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (iv) एनएसईजेड सीमा शुल्क द्वारा आयात पर 10% आरएमएस सुनिश्चित किया जाएगा।

सुरेन्द्र मलिक

(v) इकाइयां एसईजेड नियम, 2006 के नियम 18(3) (ए) के अनुसार विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए प्रतिबंधित माल के लिए निर्यात लाइसेंस प्राप्त करेंगी।

(vi) समय-समय पर संशोधित विदेश व्यापार नीति के अनुसार निषिद्ध वस्तुओं के निर्यात/आयात/घरेलू खरीद की अनुमति नहीं होगी।

16. पेट्रोनस अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड – एनएसईजेड में एक इकाई की स्थापना।

16.1 श्री आदित्य झुनझुनवाला, निदेशक और श्री अमिताभ टंटिया, प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। प्रतिनिधियों ने बताया कि वे महिलाओं, लड़कियों और बच्चों के परिधानों का निर्माण करेंगे।

16.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि आवेदक ने पुरुषों और लड़कों के कपड़ों के आईटीसी (एचएस) कोड का भी उल्लेख किया है, जबकि इसे अधिकृत संचालन के रूप में प्रस्तावित नहीं किया गया है।

16.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, संशोधित और सही आईटीसी (एचएस) एचएस 2022 नामकरण में कोड जमा करने के अधीन "महिलाओं या लड़कियों के सूट के निर्माण" के लिए एनएसईजेड में एक इकाई स्थापित करने के लिए मैसर्स पेट्रोनस अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

17. पर्टक एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड - एलओए (LOA) का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

17.1 श्री विशाल मोहन खुल्लर, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि वे स्वीकृत अनुसूची के अनुसार किराया जमा कर रहे हैं। हालांकि, वह फरवरी 2023 का किराया जमा नहीं करा सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे फरवरी व मार्च 2023 का लीज रेंट इस माह के अंत तक जमा करा देंगे।

17.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई को संशोधित ऑनलाइन एपीआर/लंबित फॉरेक्स की स्थिति के साथ फाइल में पाई गई कमियों को दूर करने का निर्देश दिया और अनुसूची के अनुसार फरवरी और मार्च 2023 के लिए लीज रेंट जमा करने का निर्देश दिया। एलओए (LOA) नवीनीकरण के संबंध में इकाई के प्रस्ताव पर, दस्तावेजों की जांच के बाद फाइल पर निदेशक/शेयरधारिता पैटर्न में अतिरिक्त अधिकृत संचालन परिवर्तन शामिल करना/इकाई द्वारा

सुरेंद्र मलिक

प्रस्तुत/प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी पर अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त, एनएसईजेड के कार्यालय को भी आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार दिया

18. गणपति ओवरसीज - एलओए (LOA) का नवीनीकरण और अतिरिक्त अधिकृत कार्यों को शामिल करना।

18.1 श्री कानव शिंगला, भागीदार अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने सूचित किया कि मेसर्स शिन्पाक ओवरसीज एक्सपोर्टर्स के नाम से उनकी एक अन्य इकाई है जिसका स्वामित्व प्रवर्तकों के एक ही समूह के पास है। एक ही परिसर से एलओए (LOA) के दो अलग-अलग सेट के प्रबंधन के लिए कई खर्चों को बचाने के लिए, उन्होंने गणपति ओवरसीज के एलओए (LOA) में मौजूदा जनशक्ति के साथ शिन्पाक ओवरसीज एक्सपोर्टर्स के एलओए (LOA) के अनुसार वर्तमान में निर्मित सभी वस्तुओं को जोड़ने का प्रस्ताव दिया।

18.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, 31/03/2027 तक पांच साल की शेष अवधि के लिए एलओए (LOA) की वैधता को नवीनीकृत करने का निर्णय लिया और एलओए (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। अनुमोदन समिति ने मौजूदा अधिकृत संचालन की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए दी गई अनुमति की भी पुष्टि की।

18.3 अनुमोदन समिति ने आगे इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और 2017-18 से 2021-22 तक के पांच वर्षों के चौथे ब्लॉक के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक एनएफई कमाई की उपलब्धि को नोट किया। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि एपीआर के अनुसार कोई भी निर्यात आय प्राप्ति के लिए लंबित नहीं दिखाई गई है।

19. आर एस एक्विजम प्राइवेट लिमिटेड - दो एलओए (LOA) का विलय।

19.1 श्री ज्ञानेश सेंगर, इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। अनुमोदन समिति ने देखा कि इकाई अपने दोनों एलओए (LOA) के संबंध में एपीआर जमा नहीं कर रही है। श्री सेंगर ने बताया कि उन्होंने यूएसडी में मूल्यों का उल्लेख करते हुए मैनुअल रूप से एपीआर प्रस्तुत किया था। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे सभी एपीआर तुरंत ऑनलाइन मोड के माध्यम से जमा करेंगे।

सुरेंद्र मलिक

19.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई- II एलओए दिनांक 04/03/2016) को इकाई- I एलओए दिनांक 03/02/2004) SEZ नियम, 2006 के नियम 19(2) के परंतुक 4 के संदर्भ में) में विलय के लिए मैसर्स आर ईएसएस एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अनुमोदन समिति ने इकाई- I के एलओए (LOA) को 31/10/2023 तक नवीनीकृत करने का भी निर्णय लिया। हालांकि अनुमोदन एसईजेडऑनलाइन (Sezonline) प्रणाली में संशोधित एपीआर जमा करने और आवेदन में पाई गई अन्य कमियों, यदि कोई हो, के सुधार के अधीन हैं।

20. एसडब्ल्यूजी न्यूट्रास्यूटिकल्स - फर्म के गठन में प्रोपराइटरशिप से पार्टनरशिप में बदलाव।

20.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, लाभ/हानि अनुपात में परिवर्तन के साथ-साथ इकाई के गठन को स्वामित्व से साझेदारी में बदलने पर ध्यान दिया। यह निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के अनुसार है, और श्री प्रणव उप्पल, पार्टनर के संबंध में आईटीआर (पिछले तीन वर्षों के लिए) की प्रतियां जमा करने के अधीन हैं।

21. ग्लाइड केम प्राइवेट लिमिटेड - एलओए (LOA) के प्रदर्शन और समीक्षा की निगरानी।

21.1 इकाई में निदेशक श्री अजीतपाल सिंह अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। अनुमोदन समिति ने पाया कि इस कार्यालय के दिनांक 17/01/2023 के पत्र के माध्यम से इकाई से अनुरोध किया गया था कि 2019-20 की अवधि के लिए एलओए (LOA) के नवीनीकरण और एपीआर सहित निदेशक/शेयरधारिता में परिवर्तन पर विचार करने के लिए आवश्यक दस्तावेज/सूचना प्रस्तुत करें। हालांकि उक्त सूचना की प्रतीक्षा की जा रही थी। अनुमोदन समिति ने आगे कहा कि इकाई का एलओए (LOA) 31/03/2023 तक वैध है

21.2 श्री सिंह ने बताया कि इकाई के निदेशक मंडल में परिवर्तन किया गया है और पिछले कर्मचारी जो सेज के काम के लिए जिम्मेदार थे, वह भी बिना किसी सूचना के चले गए हैं। इसके कारण वे इस कार्यालय के प्रश्नों का उत्तर पूर्व में प्रस्तुत नहीं कर सके। हालांकि, अब उन्होंने सारे दस्तावेज जमा कर दिए हैं।

21.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई को सभी लंबित एपीआर को एसईजेड ऑनलाइन प्रणाली में जमा करने और उनके आवेदन में पाई गई अन्य कमियों को दूर करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त, एनएसईजेड के कार्यालय को

सुरेंद्र मलिक

एलओए (LOA) के नवीकरण पर निर्णय लेने और इकाई द्वारा जमा किए गए/दस्तावेजों/जवाबों की जांच के बाद फाइल पर निदेशकों/शेयरधारिता में बदलाव का अधिकार दिया।

22. बिरलासॉफ्ट लिमिटेड (इकाई-1) -(i) नियम 74 के तहत जारी सैद्धांतिक निकास पत्र दिनांक 22/12/2022 को वापस लेना और (ii) एसईजेड नियम, 2006 के नियम 74ए के संदर्भ में प्लॉट संख्या 34-35, एनएसईजेड से मैसर्स पेट्रोनस अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड को बाहर निकलने और अपनी संपत्ति और देनदारियों के हस्तांतरण के लिए अनुरोध।

22.1 श्री गुरशरण सिंह और श्री कौशिक गिरि, मैसर्स बिरलासॉफ्ट लिमिटेड के प्रतिनिधि और श्री अमिताभ टंटिया और श्री आदित्य झुनझुनवाला, मेसर्स पेट्रोनस अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपने प्रस्ताव की व्याख्या की।

22.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, नियम 74 के तहत जारी सिद्धांत रूप से निकास पत्र दिनांक 22/12/2022 को वापस लेने के लिए मैसर्स बिरलासॉफ्ट लिमिटेड (इकाई- 1) के अनुरोध को मंजूरी दे दी। अनुमोदन समिति ने मैसर्स बिरलासॉफ्ट लिमिटेड (इकाई- 1) के एसईजेड योजना से बाहर निकलने और प्लॉट संख्या 34-35, एनएसईजेड में मेसर्स पेट्रोनस अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड SEZ नियम, 2006 के नियम 74A के संदर्भ में भवन सहित अपनी संपत्ति और देनदारियों के हस्तांतरण के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित करने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन (i) मैसर्स बिरलासॉफ्ट लिमिटेड (इकाई-1) द्वारा बाहर निकलने की औपचारिकताओं को पूरा करने; और (ii) लागू हस्तांतरण शुल्क के भुगतान के अधीन भी है।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

अ बिपिन मेनन

(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त

